(187)

नि0-3150/2018/सीधी/भू-रा0 (294)

माननीय न्यायालय :- श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश लिंककोर्ट रीवा
संभाग रीवा (म0प्र0)

विलोपित / विलोपित / विलोपित / विलोपित / विलोपित / विलोपित

शिवशंकर गोस्वामी तनय इन्दलनाथ गोस्वामी उम्र 65 वर्ष पेशा व्यवसाय
निवासी ग्राम केशमाही तहसील बहरी, जिला सीधी म0प्र0

राजीव चतुर्वेदी
वअ/23.5.18

——————— आवेदक/ निगरानीकर्ता

बनाम,

1. कु0 रूपीआ बेवा रामाधीर कलार उम्र 75 वर्ष निवासी ग्राम केशमाही
तहसील बहरी, जिला सीधी म0प्र0,

2. म0प्र0 शासन ——————अनावेदक/ गैर निगरानीकर्ता, गण

विलोपित / विलोपित

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान्
नायब तहसीलदार तहसील सिहावल के राजस्व
प्रकरण क्रमांक-12/अ-24/2010-2011 मे पारित
आदेश दिनांक 8.9.2011 के उदभूत आदेश
न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय
सिहावल जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक- 43/अपील/
2012-2013 मे पारित आदेश दिनांक 28.02.2018
के विरूद्ध.

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू- राजस्व
संहिता 1959,

मान्यवर,

आवेदक/निगरानीकर्ता की ओर से निम्नांकित निगरानी आवेदन पत्र
प्रस्तुत है:-

————:: निगरानी के तथ्य :————

शिवशंकर गोस्वामी

(187)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग.3150/2018/भू–रा0/2018 जिला–सीधी

शिवशंकर गोस्वामी/रूपौआ कलार

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजीव चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील सिहावल के प्रकरण क्रमांक 12/अ–24/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 08.09.2011 एवं अनुविभागीय अधिकारी, तहसील सिहावल के प्रकरण क्रमांक 43/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 28.02.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 09.07.19 को कलेक्टर, जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	